राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक / NHM / HR / 2022 / NS-544/1313 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक – 04/07/2022**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु 06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी / Community Health Officer) के पद हेतु विज्ञापन

आर.ओ.पी. पी.आई.पी. 2022–23 की प्रत्याशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से "छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उपस्वास्थ्य केन्द्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी जिनमें बीमारियों से बचाव एवं हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल हैं। वे अभ्यर्थी जो इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, वे उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (मिड लेवल हेल्थ प्रोवाईडर) के रूप में सेवाएं देंगे। उपरोक्त नियुक्ति राज्य के किसी भी जिले के चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के नियमानुसार की जायेगी।

चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाऐं :–

- प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 10000 / – प्रतिमाह शिष्यावृत्ति आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की फीस, फिल्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्च दिया जाएगा।
- मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान प्रतिमाह रु.16,500 / – वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य–प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम रु. 15,000 / – तक शासन के नियमानुसार दी जायेगी तथा इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

अनिवार्य योग्यता :–

- अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग कोर्स 01–बी.एससी., 02–पोस्टबेसिक, 03–जी.एन.एम. में उत्तीर्ण हो।
- अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। (अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष)

वांछनीय योग्यता :–

- अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता एवं ज्ञान हो।

नियम एवं शर्तें :–

- **उक्त कोर्स में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें संवर्ग में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिटक्रम में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जावेगा।**
- संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी, संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित संभाग अंतर्गत अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। यदि संबंधित संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाते हैं तो रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से की जावेगी।
- प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उपस्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम 03 वर्ष तक कार्य करना होगा।
- प्रशिक्षण हेतु स्थल का आबंटन की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में सीटों की उपलब्धता व मेरिटक्रम के आधार पर उक्त प्रोग्राम स्टडी सेन्टरों में प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र (प्रोग्राम स्टडी सेन्टर) में उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा IGNOU को दी जाने वाली शुल्क राशि रु. 15000/– संबंधित अभ्यर्थी से ली जायेगी। उक्त शुल्क की राशि न दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज परीक्षण के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी साथ ही इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम भी लागू होंगे। आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगा।

वर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ताकि शुल्क जमा न होने के कारण अपात्र किये जाने पर अभ्यर्थी दावा–आपत्ति में भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर सकें।

भर्ती किये जाने वाले पदों की जिलेवार/आरक्षण रोस्टरवार तालिका निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिले का नाम	विज्ञापित पद संख्या	रिक्तियों का विवरण			
			अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	बालोद	17	8	5	1	3
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	27	15	3	4	5
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	46	9	29	2	6
4	बस्तर	46	11	28	1	6
5	बेमेतरा	19	12	1	3	3
6	बीजापुर	18	1	13	1	3
7	बिलासपुर	35	18	5	7	5
8	दंतेवाड़ा	11	2	8	0	1
9	धमतरी	20	11	5	1	3
10	दुर्ग	12	8	1	1	2
11	गरियाबंद	28	11	10	3	4
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	15	3	9	1	2
13	जांजगीर-चांपा	35	18	4	8	5
14	जशपुर	44	9	27	2	6
15	कबीरधाम	16	8	4	2	2
16	कांकेर	37	9	21	2	5
17	कोण्डागांव	28	3	20	1	4
18	कोरबा	35	12	15	3	5
19	कोरिया	39	13	17	3	6
20	महासमुंद	31	15	8	4	4
21	मुंगेली	20	10	2	5	3
22	नारायणपुर	12	1	9	0	2
23	रायगढ़	62	23	22	8	9
24	रायपुर	15	10	1	2	2
25	राजनांदगांव	49	24	13	5	7
26	सुकमा	21	1	18	1	1
27	सूरजपुर	32	12	14	2	4
28	सरगुजा	30	7	17	2	4
कुल पद संख्या-		**800**	**284**	**329**	**75**	**112**

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश 2019" में जारी आरक्षण नियम के संबंध में शासन को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीसन (सी) 591/2012 रिट पिटीसन (सी) 592/2012, रिट पिटीसन (सी) 593/2012, रिट पिटीसन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों के वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया :–

- विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** पर ऑनलाईन आवेदन **दिनांक** 05/07/2022 से दिनांक 14/07/2022, सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अन्य निर्देश/आदेश/जानकारी भी उक्त वेबसाईट में दी जावेगी।
- उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना होगा। आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा।
- ऑनलाईन भरे हुये आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिये उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी अथवा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये भी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। **कृपया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता/सावधानी बरतें।**
- सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता (बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग एवं जी.एन.एम.) के अंकों के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु संवर्गवार/आरक्षणवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- शैक्षणिक योग्यता जैसे–जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु तीनों वर्षों में प्राप्त कुल अंक एवं इंटर्नशीप में प्राप्त कुल अंक को सम्मिलित कर एग्रीगेट अंक तथा बी.एस.सी.–नर्सिंग/पोस्ट बेसिक के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्रीगेट अंक ऑनलाईन आवेदन में भरा जायेगा तथा किसी प्रकार से दावा–आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।

नोट :–

- केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।
- लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट **cghealth.nic.in** पर जारी की जायेगी एवं इसके अलावा कोई अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के मेरिट एवं सीटों की आरक्षणवार संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु जिलेवार चयन किया जावेगा।
- प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो नर्सिंग (1. बी.एससी. 2. पोस्टबेसिक 3. जी.एन. एम.) पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

- परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्रता प्रावीण्य सूची के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में बी.एससी. नर्सिंग, पोस्टबेसिक बी.एससी. नर्सिंग एवं जी.एन.एम. को समान प्राथमिकता देते हुये संयुक्त मेरिट सूची के तैयार की जावेगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति, 2018 के अनुसार कुल पदों का तीन गुना आवेदक ही आरक्षण रोस्टर के आधार पर जिलेवार प्रावीण्यता सूची अनुसार परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जायेंगे।
- **प्रशिक्षण केन्द्र/Programme Study Centre–मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायगढ़, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, जिला अस्पताल धमतरी, जिला अस्पताल बीजापुर, जिला अस्पताल कांकेर, जिला अस्पताल कोरबा, जिला अस्पताल महासमुंद, जिला अस्पताल बिलासपुर, जिला अस्पताल रायपुर, जिला अस्पताल दुर्ग, जिला अस्पताल जशपुर एवं जिला अस्पताल सूरजपुर में प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जावेगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र आबंटन के संबंध मे अंतिम निर्णय मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का होगा।**
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश/आदेश/नियम यथासंशोधित लागू होंगे।
- ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने स्वयं का वैध मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पता ऑनलाईन आवेदन में भरें तथा इसे सुरक्षित एवं चालू रखें, जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क/पत्राचार ऑनलाईन के माध्यम से किया जा सके।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- किसी भी प्रकार की स्थिति या वाद–विवाद की स्थिति में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- **उक्त विज्ञापन के संबंध में दावा–आपत्ति, प्रावीण्य सूची, लिखित परीक्षा, काउंसिलिंग एवं अन्य सूचना हेतु निरंतर विभागीय वेबसाईट cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना नहीं भेजी जावेगी।**

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

04/07/2021
संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़